[illegible] को पेश हो।

14/12/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। वकील पार्टी ने आदेशिका पर अंकित किया कि पक्षकार ने दावा उठा दिया है। चूंकि पक्षकार ने पेश नहीं हो चुकी है अतः कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः डिक्रीराम पद 50 में कार्यवाही इसी स्टेज पर डिस्प की जाती है। पत्रावली फाइल मुताबिक रूल 2 के बाद वकील दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.01.05 17:21:39 IST
Reason: SelfAttested